फर्द अहकाम

मै. प्रीन कृषि मार्केट / अमित व अन्य

बनाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आयेक्र मुख्यालय-जयपुर

संख्या 05 / 2015

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
28/07/25	के तथ्यों पर मनन किया व कुरेजात रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष कारान की विधिवत सुनवाई उपरान्त तथा प्रार्थी प्रतिवादीगण की समुचित सुनवाई के अन्तर्गत एवं प्रस्तुत जवाब दावा के कथनों के दृष्टिगत स्वयं प्रार्थी प्रतिवादीगण की उपस्थिति में प्राथमिक डिक्री / आदेश दिनांक 13.5.25 को पारित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में कोई उज्र आपत्ति न्यायालय हाजा के समक्ष अथवा सक्षम स्तर पर अपील की कुरेजात रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रस्तुत नहीं की गई है तथा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्ति उपरान्त जो तथाकथित अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अभिव्यक्त किया गया है, उसके सम्बन्ध में भी कोई सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही उक्त संदर्भ / क्रम में अपीलीय न्यायालय के स्थगन आदेश / तहरीर को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थनापत्र के अन्तर्गत, कुरेजात रिपोर्ट को विधि के विपरीत होना कथन मात्र किया गया है परन्तु ना तो ... किया गया है कि प्रार्थी प्रतिवादीगण की कथित कुरेजात रिपोर्ट के विपरीत किस विशिष्ट स्थान व दिशा में तथा किस विशिष्ट	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आयेक्र मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:39 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मै. ग्रीन क्रेस्ट माइन्स बनाम / अंकित व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 05/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/07/25	रूप में स्थित है, ना ही विशिष्ट रूप से कब्जा काश्त बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर रास्ते का निर्धारण नहीं करने बाबत आपत्ति व्यक्त की गई है जबकि प्रस्तुत कुर्जात रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के प्रदर्शित / प्रस्तावित स्थान अनुसार रास्ते का पृथक से विकल्प प्रस्तावित किया जाना संभव / अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा कुर्जात रिपोर्ट (प्रस्ताव) को विधिक प्रावधानों अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रावधानों के विपरीत होना व्यक्त किया गया है, परन्तु इस संदर्भ में ऐसा कोई कथन / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किस रूप में व किस आधार पर उक्त कुर्जात रिपोर्ट प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त भी प्रार्थीगण द्वारा तनकीयात व साक्ष्य रिकॉर्ड के अभाव में प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना अभिव्यक्त [illegible] प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी [illegible] खातेदारान [illegible] विभाजन के [illegible] प्रस्तावान [illegible] की तनकीयात व साक्ष्य अपेक्षित [illegible] होने से नहीं। उक्त क्रम में केवल प्रार्थीगण की सुनवाई व बहस (प्राथमिक डिक्री) उपरान्त प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने से Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:39 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मै. ग्रीन क्रेस्ट माइन्स बनाम / अंकित व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 05/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
28/07/25	उक्त संदर्भ में आपत्ति न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। फिर भी यदि प्रार्थी प्रतिवादीगण को प्राथमिक डिक्री पर आपत्ति थी / है तो सक्षम स्तर पर निर्धारित समयावधि में अपील का विषय है ना कि कुर्जात रिपोर्ट की गुणवत्ता का विषय है। इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुर्जात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं होने सम्बन्धी आपत्ति भी व्यक्त की गई है। जो कि अतार्किक व औपचारिक आपत्ति प्रतीत है। इस प्रकार प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा कुर्जात रिपोर्ट की गुणवत्ता पर तार्किक व साक्ष्य आधारित आपत्ति नहीं करते हुए अव्यावहारिक व औपचारिक तथ्यों के आधार मात्र पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जो तथ्यों के दृष्टिगत पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा मूल रूप से जो आपत्ति प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में व्यक्त की गई है, वह न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकारिता का विषय नहीं होकर सक्षम स्तर पर अपील का विषय होने एवं प्रस्तुत कुर्जात रिपोर्ट की गुणवत्ता का विषय नहीं होने से खारिज की जाती है। चूँकि प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से सक्षम आपत्ति कुर्जात रिपोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं. 1,2 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 4.67 हे. वाके Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	P.T.O.

मै. ग्रीन [illegible] / जमीत व अन्य

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 05/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/07/25	ग्राम पुठ का बास उर्फ चावा का बास तहसील आमेर जिला जयपुर के संदर्भ में तहसीलदार, आमेर की ओर से प्रस्तुत कागजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत कागजात रिपोर्ट व संलग्न नक्शा निर्णय का डिक्री का जुज हिस्सा रहेगा। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:39 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) आमेर मुख्यालय** व इजलास **डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 05/2025
निर्णय दिनांक : 28.07.2025

मैसर्स ग्रीन अर्थ माइन्स एलएलपी जरिये निदेशक सुमेर गुर्जर पंजीकृत कार्यालय पता उत्तम टांवर, ई 172/ए, रमेश मार्ग, सी स्कीम, जयपुर।

वादी

बनाम

1. अमित पुत्र रामस्वरूप योगी
2. कंचन पुत्री रामस्वरूप योगी
3. कृष्ण कुमार पुत्र रामस्वरूप योगी
4. बसंती देवी पत्नि रामस्वरूप योगी
5. माली देवी पुत्री रामस्वरूप योगी
   समस्त जाति योगी निवासी ग्राम बीलपुर तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. मैसर्स शिवांक सोखल इन्फ्रास्टेक्चर प्रा. लिमिटेड जरिये निदेशक पंजीकृत कार्यालय पता बी–92 राजधानी अनाज मंडी सीकर रोड जयपुर
7. शिवांक लेण्ड मार्क प्लानर्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय पता जी 23, फलेट नं 301, श्री मेन्शन कमला मार्ग सी स्कीम जयपुर, जरिये डायरेक्टर रामवतार खण्डेलवाल निवासी बी– 20, 21 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड, जयपुर।
8. शिवांक लेण्ड मार्क प्लानर्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय पता जी 23, फलेट नं 301, श्री मेन्शन कमला मार्ग सी स्कीम जयपुर, जरिये डायरेक्टर श्याम सुन्दी खण्डेलवाल पुत्र राकेश खण्डेलवाल निवासी बी– 20, 21 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड, जयपुर।
   राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा कुरेजात रिपोर्ट की गुणवत्ता पर तार्किक व साक्ष्य आधारित आपत्ति नहीं करते हुए अव्यावहारिक व औपचारिक तथ्यों के आधार मात्र पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जो तथ्यों के दृष्टिगत पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा मूल रूप से जो आपत्ति प्राथमिक डिकी के संदर्भ में व्यक्त की गई है वह न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकारिता का विषय नहीं होकर सक्षम स्तर पर अपील का विषय होने एवं प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट की गुणवत्ता का विषय नहीं होने से खारिज की जाती है। चूंकि प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से सक्षम आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 1, 2 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 4.67 है. वाके ग्राम पूठ का बांस उर्फ चावा का बांस तहसील आमेर जिला जयपुर के संदर्भ में तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिकी किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट व संलग्न नक्शा निर्णय व डिकी का अजूज हिस्सा रहेगा।

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

खाता संख्या	खातेदार का नाम	[illegible]	रकबा	किस्म	लगान
1	अमित कृष्ण कुमार पुत्र रामस्वरूप हि. 2/720 कंचन माली देवी पुत्रियां रामस्वरूप हि. 2/720 बसन्ती देवी पत्नि रामस्वरूप हि. 1/720 जाति योगी सा. बीलपुर मैसर्स ग्रीन अर्थ माइन्स एलएलपी हि.1/144 पंजीकृत कार्यालय उत्तम टावर ई–172 ए रमेश मार्ग सी–स्कीम जयपुर मैसर्स शिवांक सोखल इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लि.हि. 1/72 पंजीकृत कार्यालय बी–92 राजधानी अनाज मण्डी सीकर रोड जयपुर शिवांक लैण्डमार्क प्लानर्स प्रा. लि.	[illegible]	[illegible] 4.66	गै. मु.चाह बारानी	00 37.28

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

	रजि. आफिस जी 23 फ्लेट सं. 301 श्रीमेन्शन कमला मार्ग सी स्कीम जयपुर जरिये डायेक्टर रामवतार खण्डेलवाल हि. 11/12 नि. बी. 20–21 जय जवान कालोनी प्रथम टोंक रोड जयपुर शिवांक लैण्डमार्क प्लानर्स प्रा. लि. रजि. आ. जी. 23 फ्लैट नं. 301 श्रीमेन्शन कमला मार्ग सी–स्कीम जयपुर जरिये डाइरेक्टर श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र राकेश कुमार खण्डेलवाल हि. 1/18 नि. बी. 20–21 जय जवान कालोनी प्रथम टोंक रोड जयपुर				.
	कुल किता	2	4.67	—	37.28

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	मैसर्स ग्रीन अर्थ माईन्स एलएलपी जाति (NA) पंजीकृत कार्यालय उत्तम टॉवर ई– 172/ए रमेश मार्ग सी–स्कीम जयपुर खातेदार	2/2	0.0325	बारानी	.
	कुल किता	1	0.0325		
2	अमित कृष्ण कुमार पि. रामस्वरूप कंचन माली देवी पुत्रियां रामस्वरूप बसन्ती देवी पत्नि रामस्वरूप हिस्सा पूर्ण जाति जोगी सा. बीलपुर खातेदार	2/3	0.0325	बारानी	
	कुल किता	1	0.0325		
3	मैसर्स शिवांक सोखल इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लि. हि. 650/46050 जाति (NA) पंजीकृत कार्यालय बी–92 राजधानी अनाज मण्डी सीकर रोड जयपुर शिवांक लैण्डमार्क प्लानर्स प्रा. लि. रजि. आफिस जी 23 फ्लेट सं. 301 श्रीमेन्शन कमला मार्ग सी स्कीम जयपुर जरिये डायेक्टर रामवतार खण्डेलवाल हि. 42810/46050 नि. बी. 20–21 जय जवान कालोनी (प्रथम) टोंक रोड जयपुर शिवांक लैण्डमार्क प्लानर्स प्रा. लि. रजि. आ. जी. 23 फ्लैट नं. 301 श्रीमेन्शन कमला मार्ग सी–स्कीम जयपुर जरिये डाइरेक्टर श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र राकेश कुमार खण्डेलवाल हि. 2590/46050 नि. बी. 20–21 जय जवान कालोनी प्रथम टोंक रोड जयपुर खातेदार	1 2/1	0.01 4.5950	गै. मु.चाह बारानी	.
	कुल किता	2	4.6050		.

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:39 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) आमेर
जिला जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00		स्टाम्प अर्जी	2.00	
स्टाम्प वकालत नामा	2.00		महन्ताना वकील		
स्टाम्प वह सबूत			खर्चा गवाहान		
महन्ताना वकील			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमिश्नर			मुतफरिक		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मीजान		
मुतफरिक					
मीजान					

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)

वाद संख्या :05/2025 **निर्णय दिनांक : 28.07.2025**

मैसर्स ग्रीन अर्थ माइन्स एलएलपी जरिये निदेशक सुमेर गुर्जर पंजीकृत कार्यालय पता उत्तम टॉवर, ई 172/ए, रमेश मार्ग, सी स्कीम, जयपुर।

वादी

बनाम

1. अमित पुत्र रामस्वरूप योगी
2. कंचन पुत्री रामस्वरूप योगी
3. कृष्ण कुमार पुत्र रामस्वरूप योगी
4. बसंती देवी पत्नि रामस्वरूप योगी
5. माली देवी पुत्री रामस्वरूप योगी
   समस्त जाति योगी निवासी ग्राम बीलपुर तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. मैसर्स शिवांक सोखल इन्फ्रास्टेक्चर प्रा. लिमिटेड जरिये निदेशक पंजीकृत कार्यालय पता बी-92 राजधानी अनाज मंडी सीकर रोड जयपुर
7. शिवांक लेण्ड मार्क प्लानर्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय पता जी 23, फलेट नं 301, श्री मेन्शन कमला मार्ग सी स्कीम जयपुर, जरिये डायरेक्टर रामवतार खण्डेलवाल निवासी बी- 20, 21 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड, जयपुर।
8. शिवांक लेण्ड मार्क प्लानर्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय पता जी 23, फलेट नं 301, श्री मेन्शन. कमला मार्ग सी स्कीम जयपुर, जरिये डायरेक्टर श्याम सुन्दी खण्डेलवाल पुत्र राकेश खण्डेलवाल निवासी बी- 20, 21 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड, जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से वाके ग्राम पूठ का बांस तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी ख. नं. 1, 2 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 4.67 है. के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि के अन्तर्गत वादी का 1/144 हिस्सा दर्ज अंकित/निहित है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सो अनुसार निहित है। वर्णित वाद अधीन आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा पक्षकारान आपसी सहमति से मनबंट अनुसार विभाजन कर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा हिस्सा अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे है। भूमि का विधि अनुसार विभाजन नहीं होने से वादी द्वारा प्रतिवादीगण से निरन्तर भूमि के विधिक विभाजन हेतु निवेदन किया जाता रहा है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा निरन्तर टालमटोल किया जाता रहा है तथा हाल स्थिति अनुसार भूमि के विधिक विभाजन के अभाव में ही भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण करने तथा मौके की स्थिति को परिवर्तित करने पर आमादा है तथा इस कम में भूमि के विशिष्ट भू-भाग को विक्रय, हस्तान्तरण करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है जबकि विधिक प्रावधानुसार प्रतिवादीगण को भूमि के विधिक विभाजन के अभाव में विक्रय, हस्तान्तरण तथा मौका स्थिति परिवर्तन का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त संदर्भ में वादी के विरोध करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को धमकिया दी जाती है तथा बाहुबल के आधार पर विशिष्ट भू-भाग व कीमती भू भाग पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर भूमि के विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिससे वादी को अपनी भूमि व अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिकी किया जाकर उल्लेखित भूमि वादग्रस्त का पक्षकारान के निहित हिस्सा अनुसार व कब्जे काश्त के दृष्टिगत भूमि का विधिक विभाजन का आदेश पारित फरमाया जावें। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि के विधिक विभाजन के अभाव के भूमि के विशिष्ट भू भाग का बेचान नहीं करें।

वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075-2078 खाता सं. 161 वाके ग्राम पूठ का बांस उर्फ ... तहसील आमेर जिला जयपुर की प्रमाणित (ऑनलाईन) प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार उल्लेखित वाद अधीन भूमि आराजी ख.नं. 1, 2 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 4.67 है के अन्तर्गत वादी का 1/144 हिस्सा दर्ज अंकित है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र में वर्णित अभिकथनों के संदर्भ में जवाब/किसी प्रकार की उज्र आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत विधिवत नोटिस जारी किये गये। जिसके कम. में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4, 6, 8 की ओर से बावजूद प्राप्ति नोटिस/सक्षम तामिल के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरुद्व दिनांक 06.03.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:39 IST
Reason: SelfAttested

2025 को तथा प्रतिवादीगण संख्या 6, 8 के विरूद्ध दिनांक 12.03.2025 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। जिसके कम में अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते प्रार्थी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 06.03.2025 को निरस्त/मन्सुख किये जाने के प्रस्तुत किया जाने पर उभयपक्षकारान की सुनवाई अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को वादपत्र के अभिकथनों के संदर्भ में जवाब/उज्र आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। जिसके कम में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से दिनांक 01.05.2025 को जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी सं. 5 की ओर से बावजूद वकालतनामा/उपस्थिति दिनांक 27.03.2025 के कम में जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाने पर प्रतिवादी सं. 5 का अवसर प्रस्तुत करने जवाब वादपत्र दिनांक 01.05.2025 को बंद किया गया तथा प्रतिवादी सं. 7 की ओर से वाद प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत सहमति/अनापत्ति व्यक्त की गई।

प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से जवाब वादपत्र के अन्तर्गत कोई मान्य/विधिक तथ्य अथवा कोई सारवान आपत्ति बाबत कथन नहीं करते हुए भूमि पर कब्जे मात्र बाबत कथन किया गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि वादी का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा वादी द्वारा जालसाजी पूर्वक राजस्व प्रविष्टियों में अपना नाम दर्ज करवाया गया है। जबकि भूमि पर एकमात्र कब्जा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का ही प्रचलित है एवं वादी जबरन मिन प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के कब्जे को समाप्त कर भूमि से बेदखल करना चाहता है। जिस उदेश्य मात्र से वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे कब्जा काश्त के अभाव में वाद वादी निरस्तनीय है तथा वादी भूमि का विभाजन कराने का अधिकार नहीं रखता है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वादपत्र के अभिकथनों के संदर्भ/समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के अनुसार प्रकरण के मात्र विभाजन के अनुतोष से संबंधित होने तथा अपेक्षित अनुतोष के संदर्भ में कोई मान्य विधिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से जटिल औपचारिक प्रकिया के स्थान पर सहजतापूर्वक प्राथमिक डिकी बाबत उभयपक्षकारान की बहस सुना जाना उचित समझा गया। जिसके बाबत उभयपक्षकारान अधिवक्तागण भी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करते हुए बहस प्राथमिक डिकी सुने जाने बाबत सहमति/अनापत्ति व्यक्त की जाने पर उभयपक्षकारान की बहस बाबत वाद प्राथमिक डिकी किये जाने पर सुनी गई।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस वाद प्राथमिक डिकी किये जाने पर सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेज का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेज जमाबंदी के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित पक्षकारान के हिस्सानुसार भूमि के विधिक विभाजन के परिपेक्ष्य में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके संदर्भ में राजस्व रिकॉर्ड के दृष्टिगत कोई विधिक त्रुटि प्रदर्शित नहीं होती है तथा प्रतिवादीगण के कथन औपचारिक व अमान्य है। जिनका अभिलिखित सहखातेदारिता अनुसार भूमि के विधिक विभाजन के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है, ना ही उक्त अभिकथनों के संदर्भ में प्रतिवादीगण की ओर से कोई मान्य विधिक/औपचारिक साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण के अभिकथन घोषणात्मक अनुतोष के वाद व काउन्टर क्लेम के विषय है जो प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। जिससे तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरणाधीन भूमि के संदर्भ में विधिवत प्रकिया के अन्तर्गत तथा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति व सुनवाई अनुसार कुरेजात रिपोर्ट तलब की जाकर उक्त कम में प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई/उज्र आपत्ति पर सुनवाई अनुसार आपत्ति व प्रकरण का निस्तारण उचित समझते हुए वाद वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार आमेर को वाद अधीन भूमि के विधिक विभाजन के संदर्भ में पक्षकारान को विधिवत पूर्व सूचित करते हुए व पक्षकारान की मौके पर उपस्थिति व उपयुक्त सुनवाई अनुसार आवागमन व अन्य मूलभूत सुविधाओं व कब्जा काश्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रावधानानुसार उपयुक्त विभाजन करते हुए कुरेजात प्रस्ताव न्यायालय हाजा के समक्ष [illegible] जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुसरण में तहसीलदार आमेर की ओर से दिनांक [illegible].2025 [illegible] कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर उभयपक्षकारान [illegible] विधिवत सुनवाई की गई। दौराने सुनवाई प्रकिया प्रार्थी प्रतिवादीगण 1 ता 5 की ओर से दिनांक [illegible] को कुरेजात रिपोर्ट पर आपत्ति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अधिवक्ता [illegible] को दिलाई जाकर उभयपक्षकारान की बहस आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय हाजा की प्राथमिक डिकी दिनांक 13.05.2025 के विरूद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 03.07.2025 को प्रस्तुत की गई है। जिससे कि अपील के निस्तारण तक अंतिम डिकी पारित नहीं की जा सकती है तथा आपत्ति प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने

स्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

आपत्ति प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत यह भी उल्लेखित किया गया है कि तहसीलदार आमेर की ओर से प्रार्थी प्रतिवादीगण को कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गई तथा मौके पर रास्ते का निर्धारण नहीं करते हुए कुरेजात प्रस्ताव तैयार किया गया है जो निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त कुरेजात रिपोर्ट के अन्तर्गत प्रार्थी प्रतिवादीगण को कब्जे के विपरीत भूमि प्रदत्त/प्रस्तावित की गई है। जबकि वादी का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, ना ही कब्जे का अनुतोष चाहा गया है। इसके उपरान्त भी न्यायालय द्वारा साक्ष्य व तनकीयात के अभाव में ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। जिसके अन्तर्गत विधिक विभाजन के नियमों की पालना भी नहीं की गई है एव ना ही प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अन्तर्गत तहसीलदार आमेर के हस्ताक्षर के साथ तारीख का अंकन किया गया है। जिससे उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अमान्य होने से निरस्त फरमाई जाकर पुनः विधि संवत कुरेजात रिपोर्ट तलब फरमाई जावें।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत कुरेजात रिपोर्ट पर सुनी व कुरेजात रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई उपरान्त तथा प्रार्थी प्रतिवादीगण की समुचित सुनवाई के अन्तर्गत एवं प्रस्तुत जवाब वाद पत्र के अभिकथनों के दृष्टिगत स्वयं प्रार्थी प्रतिवादीगण की उपस्थिति में प्राथमिक डिक्री/आदेश दिनांक 13.05.2025 को पारित किया गया है। जिसके संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति न्यायालय हाजा के समक्ष अथवा सक्षम स्तर पर अपील भी कुरेजात रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रस्तुत नहीं की गई है तथा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्ति उपरान्त जो तथाकथित अपील अपीलीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अभिव्यक्त किया गया है उसके संदर्भ में भी कोई सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही उक्त संदर्भ/कम में अपीलीय न्यायालय के स्थगन आदेश/तहरीर को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कुरेजात रिपोर्ट को कब्जे के विपरीत होना कथन मात्र किया गया है परन्तु ना तो ऐसा कोई कथन किया गया है कि प्रार्थी प्रतिवादीगण का कब्जा कुरेजात रिपोर्ट के विपरीत किस विशिष्ट स्थान व दिशा में तथा किस विशिष्ट रूप में स्थित है, ना ही विशिष्ट रूप से कब्जा काश्त बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर रास्ते का निर्धारण नहीं करने बाबत आपत्ति व्यक्त की गई है, जबकि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के प्रदर्शित/प्रस्तावित स्थान अनुसार रास्ते का पृथक से विकल्प प्रस्तावित किया जाना संभव/अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्तावित) को विधिक प्रावधानों अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रावधानों के विपरीत होना व्यक्त किया गया है, परन्तु इस संदर्भ में ऐसा कोई कथन/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किस रूप में व किस आधार पर उक्त कुरेजात रिपोर्ट प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त भी प्रार्थीगण द्वारा तनकीयात व साक्ष्य रिकॉर्ड के अभाव में प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना अभिव्यक्त किया गया है। जबकि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व अभिलिखित सहखातेदारिता अनुसार भूमि के विधिक विभाजन के अपेक्षित अनुतोष एवं उभयपक्षकारान के अभिकथनों के दृष्टिगत भी तनकीयात व साक्ष्य अपेक्षित नहीं होने से तथा उक्त कम में स्वयं प्रार्थीगण की सुनवाई व बहस (प्राथमिक डिक्री) उपरान्त प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से उक्त संदर्भ में आपत्ति न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है, फिर भी यदि प्रार्थी प्रतिवादीगण को प्राथमिक डिक्री पर आपत्ति थी/है तो सक्षम स्तर पर निर्धारित समयावधि में अपील का विषय है ना कि कुरेजात रिपोर्ट की गुणवत्ता का विषय है। इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं होने संबंधी आपत्ति भी व्यक्त की गई है जो कि अतार्किक व औपचारिक प्रतीत है। इस प्रकार प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा कुरेजात रिपोर्ट की गुणवत्ता पर तार्किक व साक्ष्य आधारित आपत्ति नहीं करते हुए अव्यावहारिक व औपचारिक तथ्यों के आधार मात्र पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जो तथ्यों के दृष्टिगत पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा मूल रूप से जो आपत्ति प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में व्यक्त की गई है वह न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकारिता का विषय नही होकर सक्षम स्तर पर अपील का विषय होने एवं प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट की गुणवत्ता का विषय नहीं होने से खारिज की जाती है। चूंकि प्रा[illegible] की ओर से सक्षम आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वाद अधीन भूमि आ.ख.नं [illegible] खसरा किता 02 कुल रकबा 4.67 है. वाके ग्राम पूठ का बांस उर्फ चावा [illegible] के संदर्भ में तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार [illegible] किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट व संलग्न नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को खुले न्यायालय में [illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर